विश्वविद्यालय, पूसा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डाॅक्टरल पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा का संचालन अगली अधिसूचना तक वर्तमान में लागू षैक्षण्िाक नियमों के अनुसार चलेगा। विस्तृत विवरणी विश्वविद्यालय के वेवसाईट पर उपलब्ध है।

vkjå lhå JhokLro] dqyifr

[foKkiu&III@4@vlk-@285@17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 6 of 2017)

No. 79/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Departmentof Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of recommendation of the Ist meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the conduct of examination, including the term of office and manner of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators of the students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clause (g) of sub-section (1) of Section 28 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act.2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify the condition and procedure for conduct of semester system of examination for Under-graduate, Post-Graduate and Doctoral Programme of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as per existing Academic Regulations of the University till further notification. The details are available on website of the University.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

v/;kns'k

ubZ fnYyh] 15 flrEcj] 2017

(क्रमांक 07/2017)

सं. 80/डाॅ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं ष्िाक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक मंे पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विष्वविद्यालय, पूसा में चयन समिमि के गठन की विधि एवं गैर-शैक्षण्िाक कर्मियों के अहर््ता से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2016 की धारा 18(8) जो कि धारा 21(2) के साथ पठनीय है में प्रदत्त शक्तियांे का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वणर््िात केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा परिशिष्ट-1 पर संलग्न डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कृषि विज्ञान केन्द्रों के सभी पदों के लिए भर्ती नियमावली अधिसूचित करता हूँ।

vkjå lhå JhokLro] dqyifr

[foKkiu&III@4@vlk-@285@17]

डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विष्वविद्यालय, पूसा के अंतर्गत वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केन्द्र कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्तावित नियम

in	vkbZlh,vkj }kjk fu/kkZfjr vgZ~rk,¡	Mhvkjihlh,;w }kjk x`ghr	गृहीत भर्ती प्रक्रिया

dk;ZØe leUo;d@ojh; वैज्ञानिक और अध्यक्ष (वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन रु. 9000/-) osrueku #- 37400@& 6700	vfuok;Z vgZrk,¡ %& d- vfHk;akfa=dh fo"k; ds vykok vU; fo"k; ds लिए: संबद्ध विज्ञानों सहित प्रासंगिक विषय में पी.एच.डी. उपाधि के साथ संबद्ध विषय में वैज्ञानिक/व्याख्याता/प्रसार विशेषज्ञ या समकक्ष in/kkid ds :i eas osrueku #-	vkbZlh,vkj @,,lvkjch }kjk निर्धारित एसोसिएट प्राफेसेर/वरिष्ठ वैज्ञानिकों के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)	i vad dkMZ ii çLrqfr iii lk{kkRdkj